न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1042/2026

आंदर थाना कांड सं0–56/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 3(5) बी.एन.एस.

एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

नागमणि शर्मा ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री अरूण कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

29.04.2026

आवेदक/अभियुक्त नागमणि शर्मा की ओर से आंदर थाना कांड संख्या 56/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक रमेश कुमार गोड़ के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक अनुसूचित जाति का सदस्य है। सूचक एक सामाजिक कार्यकर्ता है और वह अपना जीवन यापन के लिए My Recharge Ayurvedaa pvt. में काम करता है। मितवार गांव का एक मामला था और उसमें जनक गोड थाना का दलाली करता था और अवैध हथियार का बिक्री करता है और उसके साथ में नागमणि शर्मा, नागराज शर्मा के अलावे चार अज्ञात व्यक्ति थे जिनको सूचक नहीं पहचान सका। घटना के समय नौ बजे सुबह में उनके मकान में सी.सी. कैमरा लगा हुआ था। वे लोग बोले कि कैमरा को बंद कर गोड–सोड़ साले को इतना मारो कि यह चलने लायक न रहे।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे दुश्मनी के कारण झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध एक अन्य आपराधिक वाद, विचारण सं0 951/2025 श्री यतेन्द्र सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी सिवान के न्यायालय में लंबित हैं। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है तथा आवेदक/अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के किसी भी व्यक्ति अपमानित नहीं किया है और न ही किसी को चोट पहुँचाई है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से पलटा मुकद्मा आंदर थाना कांड सं0 51/2026 दर्ज है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे लोग

लगातार

29.04.2026

पालन करेंगे। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनु.जा./ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अभियोग के संदर्भ में कांड दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अत उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, आंदर थाना कांड संख्या 56/2026, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा– 126(2), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया जिसके अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त नागमणि शर्मा के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के सदस्य सूचक को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली–गलौज करने का अभियोग है। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 2,6,8 में वर्णित)। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस आपराधिक मामले में अनु.जा./ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त नागमणि शर्मा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।